बिहार सरकार

बिहार राज्य
वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना
2019 - 24

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

बिहार राज्य
वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना
2019 - 24

बिहार राज्य
वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना 2019 - 24

क्र.	विषय–सूची	पृ. सं.
	खण्ड– 1	
	पृष्ठभूमि	
1	प्रस्तावना	1
2	वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य सरकार की पहल	1
3	वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना की प्रासंगिकता	2
	खण्ड– 2	
	वरिष्ठ नागरिक हेतु राज्य कार्ययोजना	
1	मूलाधार	3
2	दृष्टि, लक्ष्य एवं मार्गदर्शक सिद्धांत	3
3	कार्ययोजना के उद्देश्य	4
4	वृहद् रणनीति	4
5	कार्यक्षेत्र संबंधित कार्ययोजना एवं रणनीतियाँ	5
6	कार्ययोजना का सफल क्रियान्वयन	8
7	अनुश्रवण संकेतक	8
	खण्ड– 3	
	एकीकृत कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुश्रवण	9
	समीक्षा एवं अनुश्रवण	9
1	**वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना 2019–24 के उद्देश्यों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ति हेतु लक्ष्य निर्धारण**	10

बिहार राज्य
वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना 2019 - 24

1. प्रस्तावना:

किसी भी राष्ट्र में समानता मूलक एवं न्याय संगत समाज के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का प्रावधान है। राज्य के कार्ययोजना नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 41) के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकारी सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। भारत के संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके प्रावधान वृद्धों के लिए भी प्रभावी हैं और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य एवं केंद्र सरकार पर समान रूप से है।

विगत दो दशकों में वरिष्ठ नागरिकों की दशा पर जनसांख्यिकी, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव जैसे मुद्दे पर गहन विचार–विमर्श एवं वाद–विवाद हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों को समय–समय पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्ययोजना बनाकर तदनुसार कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन् 1991 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजना अपनायी गयी। सन् 1992 में महासभा द्वारा वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र एवं सन् 2001 के लिए वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाए गए। इसी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना, 2019–24" तैयार की गयी है।

"वरिष्ठ नागरिक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर ली है तथा "अति–वरिष्ठ नागरिक" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अस्सी वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली है। इससे संबंधित अधिनियम एवं कानून निम्नवत् हैं:

- राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999
- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
- नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स, 2011
- बिहार मेन्टेनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स रूल्स, 2012

2. वरिष्ठ नागरिक हेतु राज्य सरकार की पहल

राज्य सरकार द्वारा राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, देखभाल, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की सुविधा, स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में जरा–चिकित्सा वार्ड की सुविधा, डे केयर सेन्टर, मोबाईल मेडिकेयर इकाईयों, अस्पतालों में अलग से कतार एवं जाँच आदि जैसे सुविधा विभिन्न विभागों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

3. वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना की प्रासंगिकता

किसी राष्ट्र या राज्य में समानता और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण विकास का प्रमुख सूचक है। समानता को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को समग्र परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम बनाना होगा। साथ ही, उन्हें उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्वतंत्रताओं और विकल्पों का विस्तार कर उनकी 'स्थिति' में सुधार लाना होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में बेहतर चिकित्सकीय अनुसंधान, उपचार सुविधाएँ निकटता से जुड़ी हुई हैं। विगत वर्षों में इनमें से अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जनगणना आकलन में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में वृद्धि एक सार्वभौमिक परिघटना है। जनसंख्या विकास दर आकलन के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या में 25.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विशेषकर 60 से अधिक आयु वर्ग में 40.10 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है।

वरिष्ठ नागरिक राज्य के मानव संसाधन का महत्वपूर्ण भाग हैं। अतएव, वरिष्ठ नागरिक को मुख्यधारा में लाना एवं राज्य के विकास में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

•••

वरिष्ठ नागरिक हेतु राज्य कार्ययोजना

1. मूलाधारः

नीतिगत स्तर पर इस बात की आवश्यकता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ–साथ उनके समग्र विकास हेतु प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे उपाय अपनाये जाने की आवश्यकता है जिनसे राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के सम्बन्ध में व्यावहारिक दिशा–निर्देश उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों हेतु कार्यान्वित कार्यक्रम के निर्धारण एवं मूल्यांकन में यह कार्ययोजना सभी विभागों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम कर सकेगी। राज्य सरकार भी इस बात को मानती है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम कुछ हद तक समानता की दिशा में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सहायक होता है। इसी विश्वास के साथ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कार्ययोजना की घोषणा का निर्णय लिया है।

2. दृष्टि, लक्ष्य एवं मार्गदर्शक सिद्धान्तः

बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना का मूल लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को समाज में एक गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक स्थिति प्रदान करना तथा शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहयोग प्रदान करना है। हमारी संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान मिलता रहा है। इस लक्ष्य को पाने हेतु राज्य सरकार **"अच्छी संस्कृति की पहचान, वरिष्ठ नागरिकों का हो सम्मान"** के सिद्धांत पर काम करेगी।

राज्य कार्ययोजना का लक्ष्य संसाधनों तक वरिष्ठ नागरिकों की न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करना एवं उनके समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सरकारी एवं गैर–सरकारी क्षेत्रों और मीडिया के साथ नेटवर्किंग, पैरोकारी, क्षमता–निर्माण, परामर्शी प्रक्रिया से की जाएगी।

यह कार्ययोजना, राज्य के उद्देश्यों तथा मानव विकास मानकों को मजबूती प्रदान करेगी, जिसके मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं :–

- **समानता को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकार आधारित कल्याणकारी दृष्टिकोण परिपुष्ट करना और अपनाना:–** कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ती हुई इस कार्ययोजना से सुरक्षित एवं प्रगतिशील माहौल सृजित होगा, जिसका उपयोग वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकारों एवं दायित्वों को निभाने में कर सकेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य की सामाजिक धारणाओं में आवश्यक परिवर्तन कर वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यधारा में लाने हेतु तंत्र विकसित किया जायेगा।
- **कठिन परिस्थितियों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की पहुँच सेवाओं तक सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष ध्यान देना:** कठिन परिस्थितियों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों पर मुख्य निर्णयकर्ताओं द्वारा खास ध्यान दिया जाना अतिआवश्यक होगा ताकि उन्हें राज्य के विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
- **उपयुक्त विधान, कार्यक्रम तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायता हेतु महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करना:** यह कार्ययोजना सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और निजी क्षेत्रों द्वारा महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगी। यह न केवल अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी सृजित करने में सहायक होगी, बल्कि त्वरित कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन में सहायता और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी।

3. कार्ययोजना के उद्देश्य

योजनाओं एवं व्यवस्थाओं तक वरिष्ठ नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा उनके समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु **'बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना'** के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

- राज्य के विकास के ढ़ाँचे के अन्तर्गत कार्ययोजना तथा कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के मामले को शामिल करते हुए विकास प्रक्रिया में वरिष्ठ नागरिकों की समान भागीदारी और लाभार्थी के रूप में सहभागिता सुनिश्चित करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध हिंसा तथा अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारणों एवं परिणामों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन हेतु तंत्र विकसित करना।
- वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सहित गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा मुख्य स्वास्थ्य सूचक संबंधित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुचित बजट प्रक्रिया के संस्थापन के द्वारा सभी क्षेत्रों में तथा सभी स्तरों पर पर्याप्त संसाधन एवं लोक व्यय के आवंटन में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मानवाधिकार के संगत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के कारगर कार्यान्वयन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के मानवाधिकारों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना।
- प्रमुख हितभागियों यथा मीडिया, राजनैतिक समूह और समुदाय आदि के बीच लोक संचेतना, समानता एवं विकास की परस्पर संबद्धता की समझ को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शिका एवं समुचित सद्भावपूर्ण संवाद विकसित करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के विकास संबंधित विषयों की समुचित जानकारी हेतु अनुसंधान, लेखनकार्य एवं सामाजिक मूल्यों आदि को बढ़ावा देना।

4. वृहद् रणनीति

- **वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं मुख्यधारा में समावेशन हेतु क्षमतावर्द्धन:** इस कार्ययोजना का केन्द्रीय विषय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं उनके विकास के सभी पहलुओं को मुख्यधारा में लाने के लिए विकास हितभागियों (सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं) का क्षमतावर्द्धन है।
- **वरिष्ठ नागरिकों हेतु बजट प्रक्रिया:** यह कार्ययोजना अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी क्षेत्रों के कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुचित बजट प्रावधान एवं पर्याप्त संसाधन और लोक व्यय के आवंटन के संस्थापन में सहायता करेगी।
- **पैरोकारी तथा समन्वय (एडवोकेसी):** वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तर पर सामाजिक बदलाव के लिए समन्वय इस कार्ययोजना की प्राथमिकता होगी।
- **वरिष्ठ नागरिकों पर हिंसा के प्रति संवेदनशीलता एवं लोक शिक्षा:** वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रही हिंसा एवं अन्य मानवाधिकार उल्लंघन के कारणों एवं परिणामों पर जागरूकता पैदा करने के अभिप्राय से लोक शिक्षा, मीडिया तथा हिंसा के मामलों के उन्मूलन और प्रबंधन हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना।
- **वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सकारात्मक व्यवहार हेतु सामाजिक सुरक्षा के रूप में राज्यव्यापी व्यवहार परिवर्तन अभियान:** धरातल स्तर पर व्यवहार परिवर्तन अभियान से परिवार, समुदाय तथा समाज का नजरिया वृद्धजनों के प्रति सकारात्मक होगा। इस कदम से उनके साथ भेद–भाव में कमी आने की तथा उनकी बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति की अपेक्षा की जा सकती है।
- **विधान:** यह कार्ययोजना कानून एवं विधान के अधिनियमन के अनुपालन एवं इससे संबंधित प्रगतिशील कानून एवं विधान की सहायता पर विशेष बल देगी।

- **हितभागियों के बीच समन्वय:** समानता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विकास साझीदारों, सिविल सोसाईटी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, मीडिया एवं समुदायिक नेतृत्व के साथ समन्वय मजबूत करना।

5. कार्यक्षेत्र संबंधित कार्ययोजना एवं रणनीतियाँ

I. स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं सामाजिक देखभाल सुविधाएँ

- अस्पतालों/वृद्धाश्रमों/सामाजिक देखभाल संस्थानों एवं अन्य संबंधित संस्थानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर, दवाओं, देखभाल कक्ष एवं सहचर/मार्गदर्शक की विशेष व्यवस्था करना।
- सामुदायिक स्तर के सेवादाताओं का प्राथमिक देखभाल पर प्रशिक्षण, उनकी सहायता से 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की पहचान, बुनियादी देखभाल एवं रेफरल सुविधाएँ प्रदान करना।
- वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक देखभाल एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में 'वन स्टॉप सेन्टर' के रूप में स्थापित किये जा रहे 'बुनियाद केन्द्रों' के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास संबंधी सेवाएँ प्रदान करना। 101 बुनियाद केन्द्रों के संचालन, अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन हेतु स्थापित राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई के साथ–साथ जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाइओं का सुदृढ़ीकरण।
- विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अन्य सरकारी अस्पतालों में अलग से जरा चिकित्सा वार्ड की स्थापना।
- स्वास्थ्य केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने एवं अलग कतार का प्रावधान करना।
- दूर–दराज के क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अस्पतालों, सामाजिक देखभाल केन्द्रों पर मोबाईल वैन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- जरा–चिकित्सा एवं वृद्धावस्था में होनेवाली बीमारियों की रोक–थाम से संबंधित चिकित्सीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित एवं क्रियान्वित करना।
- जन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा, ट्रस्ट एवं कल्याणकारी संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य सेवा तथा निजी स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय को प्रोत्साहित करना।

II. कल्याण

- वरिष्ठ नागरिक विशेषतः विधवाओं, विधुरों, दिव्यांगजनों एवं तृतीय जेण्डर के लिए सभी कल्याणकारी/विकास योजनाओं में विशेष व्यवस्था करना तथा इसके लिए सरकारी/गैर–सरकारी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकार के प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण–कोष की स्थापना एवं राज्य सरकार, कॉर्पोरेट क्षेत्र, विभिन्न संस्थानों, दान देनेवाले व्यक्तियों आदि से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना।
- बी.पी.एल. परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों की जन वितरण प्रणाली की सुविधा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके लिए विशेष राशन कार्ड की व्यवस्था एवं बाधा रहित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के घरों तक राशन की आपूर्ति से संबंधित विभागों से पैरोकारी करना।
- संतानहीन तथा विषम परिस्थितियों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास हेतु अनिवार्य सेवाओं, देखभाल एवं संसाधनों की उपलब्धता तथा ट्रस्ट के निर्माण एवं गैर–सरकारी संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
- गरीब, निराश्रित, निःसहाय अथवा जटिल रोग से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को संस्थागत देखभाल सेवाएँ निःशुल्क अथवा रियायती दर पर प्रदान करना।
- वरिष्ठ नागरिकों का स्वयं सहायता समूह एवं एसोसिएशनों को कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण, निर्णयन एवं शासन की प्रक्रियाओं में सहभागिता को सुनिश्चित करना।

- समुदाय स्तर पर 'वयोश्री मित्र' नामक कार्यकर्ता के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों एवं उनके परिवारजनों से प्रत्यक्ष संवाद, उनकी स्थिति पर आंकड़ा संग्रहण तथा रिपोर्टिंग। रिपोर्टों के आधार पर पंचायती राज संस्थानों तथा समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त कदम उठाया जाना/समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के गृह भ्रमण के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति पर जानकारी प्राप्त कर यथोचित कदम उठाया जाना।

III. रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा

- वरिष्ठ नागरिकों हेतु रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों एवं अवसरों की पहचान करना एवं उपयुक्त कौशल विकास कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि कार्य एवं कृषि आधारित जीविकोपार्जन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृद्ध कृषकों को रियायती दरों पर खाद, बीज, कृषि यन्त्र एवं अन्य संसाधनों तक पहुँच हेतु संबंधित योजनाओं से जोड़ना।
- 60 से 70 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों, रुचियों तथा क्षमताओं के आधार पर उनका कौशल विकास करना तथा उन्हें उपयुक्त रोजगार/आय सृजन गतिविधियों/सूक्ष्म उद्यमिता से जोड़ना।
- रोजगार करने के इच्छुक एवं क्षमतावान वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए सक्षम नियोक्ताओं (उदाहरणतया कौशल विकास मिशन, जीविका आदि) के साथ पैरोकारी एवं समन्वय।
- उत्पादक कार्यों में निवेश हेतु वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर एवं सरल तरीके से बैंकों से रियायती दरों पर ऋण की सुविधा।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूह, फेडरेशन, एसोसिएशन आदि के गठन को प्रोत्साहित करना एवं इन संगठनों को आय सृजन गतिविधि हेतु परामर्श, मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ना।
- सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाली पेंशन, भविष्य निधि एवं सेवा उपहार जैसे लाभ समय पर मिलें, इसकी व्यवस्था करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घकालीन रोजगार सुनिश्चित कर उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर सेवानिवृत्ति नियमों की समीक्षा करना।

IV. आवास/अल्पावास एवं अन्य पर्यावरणीय सुविधाएँ

- आवासीय कॉलोनी को वरिष्ठ नागरिकों की जीवन शैली के अनुरूप बनाने हेतु यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित भवनों का नक्शा बाधारहित एवं सुगम हो। इन आवासों में भोजन, प्राथमिक उपचार, लौंड्री, मनोरंजन, विश्राम एवं यातायात की सुविधा के लिए सामूहिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- अस्पतालों, बैंकों, रेलवे/अन्य परिवहन व्यवस्था एवं सभी सरकारी/सार्वजनिक बुनियादी संरचनाओं एवं स्थलों के निर्माण, रूपांतरण और अनुकूलन द्वारा बाधारहित पहुँच सुनिश्चित कराना।
- सरकारी एवं गैर–सरकारी आवासीय योजनाओं के तहत आवासों के आवंटन में निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता एवं भूतल स्थित आवास के आवंटन का प्रावधान करना।
- वास्तुकारों, नगर नियोजकों, निर्माताओं एवं आवासीय प्रशासकों के प्रशिक्षण में वरिष्ठ नागरिक के सुरक्षित एवं सुगम आश्रय हेतु बाधारहित आवश्यकताओं जैसे मुद्दों को शामिल करना।
- नागरिक सुविधाएँ, संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण (दाखिल–खारिज), संपत्ति कर एवं ऐसे अन्य मामलों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता एवं रियायती दरों का प्रावधान करना।
- वरिष्ठ नागरिकों की आत्मनिर्भरता/गतिशीलता के दृष्टिगत उनके टहलने–घूमने, साइकिलिंग एवं व्यायाम हेतु उद्यान, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद आदि के लिए विशेष एवं निःशुल्क पार्क जैसी जन–सुविधाओं की उपलब्धता

सुनिश्चित करना।

- रेलवे एवं यातायात के अन्य सार्वजनिक साधनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक कतार की सुविधा।

V. जीवन एवं संपत्ति की रक्षा

- वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं उनकी संपत्ति की रक्षा हेतु **'बिहार मेन्टेनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स रूल्स, 2012'** का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु वरिष्ठ नागरिक यथा दम्पति एवं अकेले रहने वाले वृद्ध लोगों को संबंधित थाना क्षेत्र में पंजीयन तथा शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके संगठनों एवं स्वैच्छिक संस्थानों को यथासंभव सहायता का प्रावधान, हेल्पलाइन सेवा का विस्तार, कानूनी सलाह एवं अन्य उपायों का प्रावधान।
- वरिष्ठ नागरिकों के संपत्ति अधिकारों में धोखाधड़ी, शारीरिक एवं भावनात्मक शोषण आदि से संबंधित मामलों में कानूनी परामर्श एवं शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना।

VI. शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

- विधिवत एवं अनौपचारिक दोनों ही शिक्षा के सभी स्तरों पर बनाए जानेवाले पाठ्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का योगदान, समस्या एवं सम्मान आदि विषयों के समावेश को प्रोत्साहित करना।
- वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
- छात्रों एवं युवा वर्ग के साथ शिक्षण संस्थानों में एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन के आयोजन हेतु संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु राज्य सरकार द्वारा विशिष्टता धारक संसाधन–संपन्न प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्क तैयार करना।

VII. जागरुकता–निर्माण

- वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों/कार्यक्रमों, हेल्पलाइन एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर विभिन्न माध्यमों (टीवी/रेडियो/अखबार/सोशल मीडिया आदि) की सहायता से विशेष जागरूकता अभियानों का संचालन करना।
- प्रत्येक वर्ष ग्राम पंचायत/प्रखंड/जिला एवं राज्य स्तर पर "वरिष्ठ नागरिक सम्मान" दिवस का आयोजन करना।
- वरिष्ठ नागरिकों पर अभिनव जागरूकता पहल एवं प्रयोगों को प्रोत्साहित करना तथा सकारात्मक परिणामों/सफलताओं को विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार करना ।
- मीडिया संस्थानों के साथ समन्वय एवं नेटवर्क स्थापित कर वरिष्ठ नागरिकों हेतु स्तम्भ/आलेख अथवा अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

VIII. नागरिक सुविधाएँ

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजकीय परिवहन के साधनों में सुरक्षित व सुगम यात्रा हेतु आगे की पंक्ति में सीटों का आरक्षण एवं रियायती दरों पर यात्रा की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक सहचर को यात्रा में रियायत का प्रावधान।
- गैस एवं टेलीफोन सुविधाओं के आवंटन में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता।
- वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का प्रावधान।

- मनोरंजन सुविधाओं, कला एवं संस्कृति केन्द्रों एवं पर्यटन केन्द्रों के प्रवेश शुल्क में वरिष्ठ नागरिकों को छूट का प्रावधान।

6. कार्ययोजना का सफल क्रियान्वयन

कार्ययोजना के क्रियान्वयन एवं इससे जुड़े सभी मुद्दों के संयोजन हेतु समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार नोडल विभाग होगा।

- वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े विभागों, जन अभिकरणों, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का एक राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग का निर्माण किया जायगा। इस आयोग के संचालन हेतु दिशा–निर्देशों का निर्माण समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा।
- वरिष्ठ नागरिकों को समाज या परिवार से उपेक्षा जैसी समस्याओं से बचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से इस कार्ययोजना का प्रचार–प्रसार किया जाएगा तथा संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल विकसित किया जायेगा, साथ ही साथ आंकड़ा संग्रहण हेतु एम.आई.एस. विकसित किया जायेगा।

7. अनुश्रवण संकेतक

राज्य में कार्ययोजना के कार्यान्वयन मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले संकेतक निम्नलिखित हैं:

- **स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं सामाजिक देखभाल–** सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, वृद्धाश्रम/सामाजिक देखभाल केंद्र की स्थापना, जरा–चिकित्सा वार्डों का गठन, विशेष ओ.पी.डी. की व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि।
- **कल्याण–** वरिष्ठ नागरिकों को उपयुक्त कल्याणकारी कार्यक्रमों अथवा सामाजिक देखभाल एवं पुनर्वास सेवाओं में प्राथमिकता, कल्याण कोष की स्थापना, जन–वितरण प्रणाली की सुविधा, स्वयं सहायता समूह, एसोसिएशन की सहभागिता, आवास संबंधित आवश्यकताओं की स्थिति का आकलन, बाधारहित स्थलों का अनुश्रवण इत्यादि।
- **रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा–** वरिष्ठ नागरिकों को कौशल विकास, आजीविका एवं स्वरोजगार की व्यवस्था एवं बैंकों से ऋण की सुविधा का आकलन, कृषि कार्य संबंधित गतिविधि/लाभ, वृद्धावस्था पेंशन भुगतान एवं समय–समय पर पेंशन भुगतान की दरों में संशोधन, वृद्धजनों को विभिन्न सुरक्षा बीमा योजनाओं का लाभ, स्वयं सहायता समूह एवं एसोसिएशन के गठन को प्रोत्साहन, नियोजनालय में पंजीकरण, सरकारी कर्मियों की सेवा–निवृत्ति पश्चात मिलने वाले लाभ ससमय तथा सुविधा भुगतान का अनुश्रवण इत्यादि।
- **शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान–** वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े अधिकारों/कार्यक्रमों, हेल्पलाईन एवं अन्य सामाजिक मूल्यों का प्रचार–प्रसार, पाठ्यक्रम में विषयों का समावेशन, अनुसंधान, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण, उपयोगी सूचना एवं सामग्रियों को विकसित करना, विभिन्न मुद्दों पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, कार्यशाला एवं समस्याओं के निदान हेतु संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि।
- **सामाजिक सुरक्षा–** वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास सेवाएँ, कानूनी सहायता में बढ़ोतरी, निःशुल्क हेल्पलाईन की सुविधा, दुर्व्यवहार अथवा शोषण करनेवालों तत्वों की पहचान एवं उनके निदानों के लिए पुलिस एवं निजी सुरक्षा अभिकरणों को प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण में बढ़ावा।
- **पारिवारिक देखभाल–** परिवार के सदस्यों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समुचित देखभाल, इलाज, संपत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा, बिहार मेन्टेनेंस एण्ड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एण्ड सीनियर सिटीजन्स रुल्स, 2012 के तहत प्राप्त प्रावधान।

1. एकीकृत कार्ययोजना का निर्माण एवं अनुश्रवण

बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु सभी संबंधित विभाग कार्ययोजना के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करेंगे जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा समेकित कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रधान सचिव/सचिवों की समिति में अनुमोदन हेतु रखा जायगा। अनुमोदित एकीकृत कार्ययोजना के अनुरूप संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

2. समीक्षा एवं अनुश्रवण

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुश्रवण समिति प्रत्येक छः माह पर कार्ययोजना के कार्यान्वयन की राज्य स्तरीय समीक्षा करेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मिशन मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति इस कार्ययोजना के आलोक में कार्ययोजना प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करेगी।

•••

वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना 2019-24 के उद्देश्यों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ति हेतु लक्ष्य निर्धारण

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
स्वास्थ्य				
नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थकेयर ऑफ एल्डरली	सभी जिला चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु 10 आरक्षित बेड की व्यवस्था	स्वास्थ्य विभाग	राज्य स्वास्थ्य समिति सभी जिला स्तरीय अस्पताल राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में (अगले पाँच वर्ष में – चरणबद्ध तरीके से)
	सभी सदर एवं अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु 2 आरक्षित बेड की व्यवस्था			
	सभी अस्पतालों में निबंधन एवं अन्य काउन्टरों पर अलग कतार एवं बैठने की व्यवस्था			
	प्रत्येक मंगलवार को जरा चिकित्सा से संबंधित अतिरिक्त ओ.पी.डी. की व्यवस्था			
	आँख, कान, हृदय रोग, चीनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर आदि की जाँच हेतु कैंप लगाना एवं जागरूकता अभियान चलाना			प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 बुजुर्गों की जाँच (वार्षिक)
	जरा चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, चिकित्सकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध कराना			सभी जिला, अनुमंडल अस्पतालों एवं प्राथमिक केन्द्रों के माध्यम से वितरण (निरंतर)
	ए. एन. एम. एवं आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों को सेवा प्रदान करना			सभी जिलों में कम से कम 10 प्रतिशत आशा कार्यकर्ताओं को जराचिकित्सा एवं पैलयेटिव केयर में प्रशिक्षण (वार्षिक)
राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम	मोतियाबिंद से प्रभावित बुजुर्गों के आँख का आपेरशन नियमित की आँख की जाँच कर चश्मा उपलब्ध कराना		राज्य स्वास्थ्य समिति सभी जिला स्तरीय अस्पताल राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	सभी जिलों में मासिक कैंप लगाकर बुजुर्गों का नेत्र जाँच करना, मोतियाबिंद आपेरशन तथा चश्मा उपलब्ध कराना

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
स्वास्थ्य				
आयुष्मान भारत	गरीब एवं बेसहारा परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा के तहत मुफ्त चिकित्सा		योजना के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पताल	सभी बुजुर्गों को बीमा की जानकारी एवं गोल्डेन कार्ड उपलब्ध कराना (निरंतर)
कल्याण				
बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012	सभी अनुमंडलों में भरण–पोषण अधिकरण का गठन एवं साप्ताहिक बैठक एवं सहायक निदेशक के माध्यम से त्रैमासिक रिपोर्ट सुनिश्चित करना	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जिला पदाधिकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अनुमंडलाधिकारी	सभी अनुमंडल से भरण पोषण अधिकरण की साप्ताहिक बैठक एवं मासिक रिपोर्ट जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा रिपोर्ट (त्रैमासिक)
	जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक एवं सुझावों का रिपोर्ट सुनिश्चित करना			जिला स्तरीय बैठक एवं सुझावों का रिपोर्ट (त्रैमासिक)
	अनुमंडल स्तर पर कानून के प्रचार – प्रसार हेतु गोष्ठी			सभी पंचायत में जागरूकता हेतु गोष्ठी (अर्द्ध–वार्षिक)
	प्रत्येक जिले में 50 बेड के वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन			सभी जिलों में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन (अगले पाँच वर्षों में)
	राज्य में रह रहे सभी बुजुर्गों का सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रपत्र तैयार करना			बुजुर्गों का सर्वेक्षण (वर्ष 2019–20) एवं अद्यतन करना (प्रत्येक वर्ष)
समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम	कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित सभी परियोजनाओं का जिलावार संचालन	सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग स्वयंसेवी संस्था	सभी जिलों में योजनान्तर्गत सभी परियोजनाओं हेतु अनुशंसा (प्रत्येक वर्ष)
वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य के सभी बुजुर्गों को इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना /मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना से जोड़ना	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के संबंधित पदाधिकारी	राज्य के सभी वृद्धजनों को इंदिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन/ मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन निरंतर, (त्रैमासिक भुगतान)

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
कल्याण				
कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे परिवारों के बुजुर्गों के मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता	सक्षम	सक्षम जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर के संबंधित पदाधिकारी	निरंतर
अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना	अति गरीब एवं असहाय बुजुर्गों के खाद्य सुरक्षा जनवितरण प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करना। वरिष्ठतम बुजुर्ग (80 वर्ष या उससे अधिक) एवं शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों के निवास स्थान पर राशन की आपूर्ति	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिला पदाधिकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी जन–वितरण केन्द्र	पंचायत के माध्यम से बुजुर्गों की पहचान कर तुरंत लाभ पहुँचाना
बुनियाद केन्द्र	राज्य के सभी अनुमंडलों में बुनियाद केन्द्र का निर्माण एवं सेवा प्रदान करना एवं मोबाइल थैरेपी वैन का संचालन	सक्षम	सक्षम बुनियाद केन्द्र (जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई)	सभी अनुमंडलों में कुल 101 बुनियाद केन्द्र की स्थापना एवं संचालन (वर्ष 2019–20)
सहायक उपकरण की उपलब्धता एवं वितरण (संबल योजना)	शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों हेतु सहायक उपकरण, यथा, सुनने की मशीन, ट्राई साइकिल, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टीक, चश्मा आदि की व्यवस्था एवं असहाय बुजुर्गों को कंबल वितरण	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय सक्षम/बुनियाद केन्द्र जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग	निरंतर राज्य के सभी योग्य एवं जरुरतमंद वृद्धजनों हेतु
बुजुर्ग हेल्पलाईन	राज्य के सभी जिलों में बुजुर्ग हेल्पलाईन की स्थापना एवं संचालन	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जिला पुलिस स्वयंसेवी संस्था	प्रत्येक जिला के पुलिस केन्द्र में हेल्पलाईन की स्थापना एवं संचालन (अगले तीन वर्ष में)
वरिष्ठ नागरिक आयोग	बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना 2019–24 के सफल क्रियान्वयन हेतु वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन एवं समीक्षा	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय सभी संबंधित विभाग के प्रतिनिधि स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि	आयोग का गठन (वर्ष 2019–20) एवं बैठक (त्रैमासिक) राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था के साथ बैठक एवं सुझाव (प्रत्येक वर्ष)

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
कल्याण				
वयोश्री मित्र	राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक युवा को प्रशिक्षित कर वयोश्री मित्र के रूप में नियुक्त कर सभी सेवाएँ प्राप्त करने में मदद करना	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय सक्षम	राज्य के सभी पंचायतों में (अगले पाँच वर्ष में)
रोजगार एवं आर्थिक सुरक्षा				
आजीविका कार्यक्रम	दीनदयाल अंत्योदय योजना – आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्ध स्वयं सहायता समूह का निर्माण एवं संचालन	ग्रामीण विकास विभाग	बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति (जीविका) स्वयंसेवी संस्था	राज्य के सभी जिलों में कम से कम 10000 बुजुर्ग स्वयं सहायता समूह का निर्माण एवं संचालन (2000 प्रतिवर्ष)
मनरेगा	गरीबी रेखा के नीचे परिवार के बुजुर्गों को मनरेगा कार्यक्रम में वरीयता		जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधि	सभी जिले में संचालित होने वाले मनरेगा कार्य में 10 प्रतिशत बुजुर्गों को शामिल करना
कौशल विकास योजना	सक्रिय बुजुर्गों के अनुकूल कौशल विकास पाठ्यक्रम का निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षित बुजुर्गों को कौशल अनुरूप स्वरोजगार या नौकरी से जोड़ना	बिहार कौशल विकास निगम	बिहार कौशल विकास निगम	कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार से जुड़े कम से कम 5 कौशल विकास प्रशिक्षण सामग्री/पाठ्यक्रम का विकास एवं कम से कम 1000 बुजुर्गों को प्रशिक्षण (प्रत्येक वर्ष)
वित्तीय सहायता	बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से रोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं ऋण की उपलब्धता	वित्त विभाग उद्योग विभाग कृषि विभाग	वित्त विभाग उद्योग विभाग कृषि विभाग बैंक एवं वित्तीय संस्थान	10000 बुजुर्गों को रियायती दर पर ऋण की व्यवस्था रिवर्स मॉर्गेज स्कीम का प्रचार–प्रसार (प्रति वर्ष)
आवास/अल्पावास एवं अन्य पर्यावरणिय सुविधाएँ				
गृह निर्माण एवं आवासीय सुविधा	बुजुर्गों के अनुकूल गृह निर्माण एवं भूतल में बुजुर्गों को आवासीय सुविधा में प्राथमिकता एवं छूट	भवन निर्माण विभाग समाज कल्याण विभाग	भवन निर्माण विभाग बिहार राज्य आवास बोर्ड सभी नगर निगम एवं नगरपालिका	आवासीय भवनों में भूतल में कम से कम 10 प्रतिशत आवंटन बुजुर्गों को

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
आवास/अल्पावास एवं अन्य पर्यावरणिय सुविधाएँ				
	बुजुर्गों हेतु राजधानी एवं जिला मुख्यालय एवं सुरक्षित एवं रियायती दर पर अल्पावास गृह		रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, बिहार	सभी जिलों में एक अल्पावास गृह का निर्माण एवं संचालन
भूमि एवं संपत्ति कर में छूट	भूमि एवं संपत्ति कर में छूट एवं रियायती दर पर निबंधन	निबंधन विभाग	निबंधन विभाग	रियायती दर पर भूमि एवं संपत्ति का निबंधन
सार्वजनिक स्थलों पर बाधारहित पहुँच एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करना	सार्वजनिक स्थलों यथा, पार्क, बस पड़ाव, सड़क, सरकारी कार्यालय आदि में बुजुर्गों हेतु विशेष सुविधा रैम्प, ट्राई साइकिल, लिफ्ट की व्यवस्था सार्वजनिक परिवहन, मनोरंजन केन्द्रों/पार्कों में आरक्षित सीटों की व्यवस्था एवं रियायती दर पर प्रवेश अत्यधिक बुजुर्ग (80 वर्ष या उससे अधिक) एवं शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों को एक सहचर के साथ रियायती दर यात्रा की सुविधा	परिवहन विभाग पर्यावरण विभाग गृह विभाग	परिवहन विभाग पर्यावरण विभाग नगर निगम/नगरपालिका जिला पदाधिकारी ट्रैफिक पुलिस	बुजुर्गों की सुविधाओं से जुड़ी सभी कार्यालयों एवं रैम्प, ट्राई साइकिल, लिफ्ट की व्यवस्था (अगले तीन वर्ष में) सभी सार्वजनिक परिवहन में 10 प्रतिशत सीट बुजुर्गों के लिए आरक्षित करना बुजुर्गों एवं अतिबुजुर्गों के साथ सहचर के यात्रा किराया में 50 प्रतिशत की छूट (प्राथमिकता के आधार पर)
जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा				
सुरक्षा एवं संरक्षा (बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012)	प्रत्येक थाना क्षेत्र में रह रहे बुजुर्गों का निबंधन एवं सूची तैयार करना अकेले रह रहे बुजुर्गों का अलग सूची तैयार कर निरंतर देखभाल बुजुर्गों के सुरक्षा एवं संपत्ति के धोखाधड़ी या जबरन कब्जा जैसी मामले में त्वरित कार्रवाई एवं निपटान बुजुर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह एवं निष्पादन में मदद	गृह विभाग विधि विभाग	महानिरीक्षक, सी.आई.डी. (कमजोर वर्ग) जिला पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी विधि विभाग बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार	प्रत्येक थाने में बुजुर्गों का सर्वेक्षण एवं अकेले रह रहे बुजुर्गों हेतु अलग रजिस्टर की व्यवस्था प्रत्येक थाने में बुजुर्गों के साथ मासिक बैठक बुजुर्गों से जुड़े मामलों का निपटारा एवं जिला कार्यालय को मासिक प्रतिवेदन

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान				
नैतिक शिक्षा, संवेदीकरण एवं अनुसंधान	नैतिक शिक्षा के माध्यम से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, उनके समस्या एवं समाधान संबंधित विषयों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना क्षेत्र विशेष के अनुभवी बुजुर्गों को स्कूल, कॉलेजों एवं अन्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक योगदान हेतु प्रोत्साहन स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों के बीच बुजुर्गों के सम्मान, समस्या एवं समाधान विषय पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता एवं बुजुर्ग सम्मान दिवस का आयोजन	शिक्षा विभाग	शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार राज्य टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय	पाँचवीं से सातवीं कक्षाओं के बुजुर्गों से संबंधित एक अध्याय कहानी या कविता के माध्यम से पाठ्यक्रम में जोड़ना (अगले तीन वर्षों में) राज्य एवं जिला स्तर पर बुजुर्गों से संबंधित विषयों पर वाद–विवाद या लेखन प्रतियोगिता का आयोजन (अगले तीन वर्षों में) राज्य के सभी विद्यालयों में बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन (प्रत्येक वर्ष)
जागरूकता निर्माण				
अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन	अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर सम्मान कार्यक्रम, जागरूकता शिविर एवं रैली का आयोजन, बुजुर्गों की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	सामाजिक सुरक्षा निदेशालय सक्षम जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग बुनियाद केन्द्र स्वयंसेवी संस्थाएँ	राज्य के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन(प्रत्येक वर्ष) बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं का सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट (प्रति वर्ष)
सूचना प्रसारण एवं जागरूकता	संवेदीकरण हेतु बुजुर्गों के समस्या एवं समाधान संबंधित विषयों पर जागरूकता शिविर, कार्यशाला एवं संवाद गोष्ठी का आयोजन एवं अनुसंधान बुजुर्गों के हक, अधिकार एवं कानून संबंधित सूचनाओं का प्रसारण एवं जागरूकता निर्माण	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पंचायती राज विभाग	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पंचायती राज विभाग स्वयंसेवी संस्थाएँ प्रेस एवं मीडिया	जागरूकता निर्माण हेतु सभी प्रयास करना (त्रैमासिक) पंचायत प्रतिनिधियों हेतु संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन पंचायत स्तर पर बुजुर्गों के साथ हो

कार्यसूची (Area of Action)	प्रदेय कार्य (Deliverables)	संबंधित विभाग/संस्था (Nodal Dept./Agency)	जवाबदेही (Responsibility)	लक्ष्य एवं समय सीमा (Target & Timeline)
जागरूकता निर्माण				
				रहे दुर्व्यवहार का निपटारा पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम एवं आम सभा में बुजुर्गों से जुड़े कम से कम एक मुद्दे को शामिल करना
अन्य नागरिक सुविधाएँ				
विशेष सुविधाएँ	गैस, टेलीफोन, डाकघर, अन्य सुविधाओं के भुगतान स्थल एवं पेंशन भुगतान एवं अन्य वित्तीय लेनदेन हेतु बैकों में अलग कतार की व्यवस्था वरिष्ठतम बुजुर्ग (80से अधिक) एवं शारीरिक रूप से सक्षम बुजुर्गों को निवास स्थान पर सुविधाएँ	सामान्य प्रशासन	शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार राज्य टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लिमिटेड स्कूल/कॉलेज/ विश्वविद्यालय	बैंक के सभी शाखाओं में पेंशन भुगतान हेतु एक दिन सुनिश्चित करना, पेंशन से जुड़ी समस्याओं हेतु एक खिड़की प्रणाली की व्यवस्था, सभी नागरिक सुविधाओं हेतु बुजुर्गों को प्राथमिकता एवं सुविधा केन्द्रों में अलग कतार की व्यवस्था अति बुजुर्ग लोगों की पहचान कर निवास स्थान पर सुविधा
अनुश्रवण संकेतक				
सूचना संग्रहण एवं वेब पोर्टल का निर्माण एवं जानकारी अद्यतन करना	बिहार राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्ययोजना 2019–24 के सफल कार्यान्वन के निगरानी हेतु मासिक सूचना संग्रहण एवं वेब पोर्टल पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना	सक्षम	सक्षम सामाजिक सुरक्षा निदेशालय सभी संबंधित विभाग	मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना वेब पोर्टल का निर्माण एवं अद्यतन जानकारी

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार